

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 321/2017

अनवान :-

1. बृजलाल पुत्र गुरदयाल जाति मेधवाल निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. श्योकरण
2. पतराम
3. मोतीराम
4. धर्मपाल
5. रूपराम

पि0 गुरदयाल जाति मेधवाल निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर।

6. रजिराम 7. पूर्णराम 8. जगदीश उर्फ पप्पू 9 बनवारी 10 दुनीराम 11 हडमान पि0 मनफुल जाति मेधवाल निवासी रायसिहपुरा तहसील नोहर
- 12 व्यवस्थापक एबीबीजे शाखा नोहरं।
13. व्यवस्थापक पीएनबी बैंक नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता वादी
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 28/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 158/96 के खसरा न0 1/2.9470, 2/1 की 3. 0220हैक्, 6/0.4300, 14/9.1810, 36/12.5070हैक्, 206/2.2760 कुल 30.3630हैक् भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका दर्ज होने से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है। इसलिए वादी अपने हक हिस्सा के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा रायसिहपुरा खाता संख्या 158/96 के खसरा न0 1/2.9470, 2/1 की 3.0220हैक्, 6/0.4300, 14/9.1810, 36/12. 5070हैक्, 206/2.2760 कुल 30.3630हैक् भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में



Rahul
अधीवक्ता
नोहर

दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 7 ता 11 की तरफ से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता उपस्थित व प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 6 की ओर से श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा मया काउंटर क्लेम पेश किया की वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण का कोई झगड़ा नहीं है। उत्तरदातागण अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी भूमि के मुताबिक खाता व लगान अलग करवाना चाहते हैं अर्थात कि खाता व विभाजन किस्म भूमि के अनुसार किया जावे।

साक्ष्य में वादी व प्रतिवादीगण द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादी व वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई।


बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा रायसिंहपुरा के खसरा न0 1/2.9470, 2/1 की 3.0220 हैक, 6/0.4300, 14/9.1810, 36/12.5070 हैक, 206/2.2760 कुल 30.3630 हैक भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है

1. जगदीशप्रसाद दुनीराम पूर्णराम बनवारीलाल हड़मान पि0 मनफुल हिस्सा बहिब जाति मेघवाल सा— देह खातेदार रहन जगदीश प्रसाद, हडद्वमान हिस्सा एसबीआई शाखा नोहर दुनीराम पूर्णराम हिस्सा आरएमजीबी शाखा दलपतपुरा मूर्त— प0म0 दलपतपुरा के ग्राम रायसिंहपुरा के खसरा न— 36 की 4—4110 हे0 बारानी प्रथम भूमि भूमि कुल खसरा 1 कुल रकबा 4.4110 हे0 बारानी प्रथम भूमि
2. धर्मपाल हिस्सा 2.1645 हे0 पतराम हिस्सा 2.1687 हे0 बिरजाराम हिस्सा 2.1707 हे0 मोती हिस्सा 2.1710 हे0 रूपा हिस्सा 2.1706 हे0 राजेराम हिस्सा 2.1710 हे0, श्योकरण हिस्सा 2.1645 हे0 पि0 गुरदयाल हिस्सा बहिब जाति मेघवाल सा— देह खातेदार रहन धर्मपाल पतराम राजेराम श्योकरण हिस्सा एसबीआई शाखा नोहर मोती हिस्सा आरएमजीबी शाखा दलपतपुरा मूर्त— प0म0 दलपतपुरा के ग्राम के खसरा न0 36 की 8.0960 हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न 1 की 2.9470 हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 2/1 की 3.0220



अधिकारी
नोहर

हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 14 की 1.1160 हे0 बारानी प्रथम भूमि कुल खसरे 4 कुल रकबा 15.1810 हे0 बारानी प्रथम भूमि

3. जगदीशप्रसाद दुनीराम पूर्णराम बनवारीलाल हड़मान पि0 हिस्सा बहिव जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन जगदीश प्रसाद हड़मान हि0 एसबीआई शाखा नोहर दुनीराम पूर्णराम हि0 आरएमजीबी शाखा दलपतपुरा मूर्त – प0म0 दलपतपुरा के ग्राम रायसिंहपुरा के खसरा न0 14 की 8.0650 हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 6 की 0.4300 हे. बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 206 की 2.2760 हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 36 की 4.4110 हे0 बारानी प्रथम भूमि कुल खसरे 4 कुल रकबा 15.1820 हे0 बारानी प्रथम भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 28/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 321/2017

अनवान :-

1. बृजलाल पुत्र गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. श्योकरण
2. पतराम
3. मोतीराम
4. धर्मपाल
5. रूपराम

पि0 गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

6. रजिराम 7. पूर्णराम 8. जगदीश उर्फ पप्पू 9 बनवारी 10 दुनीराम 11 हडमान पि0 मनफुल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर
- 12 व्यवस्थापक एबीबीजे शाखा नोहर।
13. व्यवस्थापक पीएनबी बैंक नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 321 सन 2017 निर्णय दिनांक 28/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा रायसिंहपुरा के खसरा न0 1/2.9470, 2/1 की 3.0220 हैक, 6/0.4300, 14/9.1810, 36/12.5070 हैक, 206/2.2760 कुल 30.3630 हैक भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है

1. जगदीशप्रसाद दुनीराम पूर्णराम बनवारीलाल हडमान पि0 मनफुल हिस्सा बहिब जाति मेघवाल सा- देह खातेदार रहन जगदीश प्रसाद, हडद्वमान हिस्सा एसबीआई शाखा नोहर दुनीराम पूर्णराम हिस्सा आरएमजीबी शाखा दलपतपुरा मूर्त- प0म0 दलपतपुरा के ग्राम रायसिंहपुरा के खसरा न- 36 की 4-4110 हे0 बारानी प्रथम भूमि भूमि कुल खसरा 1 कुल रकबा 4.4110 हे0 बारानी प्रथम भूमि
2. धर्मपाल हिस्सा 2.1645 हे0 पतराम हिस्सा 2.1687 हे0 बिरजाराम हिस्सा 2.1707 हे0 मोती हिस्सा 2.1710 हे0 रूपा हिस्सा 2.1706 हे0 राजेराम हिस्सा 2.1710 हे0, श्योकरण हिस्सा 2.1645 हे0 पि0 गुरदयाल हिस्सा बहिब जाति मेघवाल सा- देह खातेदार रहन धर्मपाल पतराम राजेराम श्योकरण हिस्स एसबीआई शाखा नोहर मोती हिस्सा आरएमजीबी शाखा दलपतपुरा मूर्त- प0म0 दलपतपुरा के ग्राम के खसरा न0 36 की 8.0960 हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न 1 की 2.9470 हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 2/1 की 3.0220 हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 14 की 1.1160 हे0 बारानी प्रथम भूमि कुल खसरे 4 कुल रकबा 15.1810 हे0 बारानी प्रथम भूमि
3. जगदीशप्रसाद दुनीराम पूर्णराम बनवारीलाल हडमान पि0 हिस्सा बहिब जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन जगदीश प्रसाद हडमान हि0 एसबीआई शाखा नोहर दुनीराम पूर्णराम हि0 आरएमजीबी शाखा दलपतपुरा मूर्त - प0म0 दलपतपुरा के ग्राम रायसिंहपुरा के खसरा न0 14 की 8.0650 हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 6 की 0.4300 हे. बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 206 की 2.2760 हे0 बारानी प्रथम भूमि खसरा न0 36 की 4.4110 हे0 बारानी प्रथम भूमि कुल खसरे 4 कुल रकबा 15.1820 हे0 बारानी प्रथम भूमि

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक28/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर